7

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— प.11(01)प्रशि / पॉलिसी / 2020 / 1121 दिनांकः— 26/02/2020

स्थाई आदेश संख्या—.....7..... / 2020

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(06)गृह—1 / 2016 पार्ट दिनांक 05.11.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में कानिस्टेबलों को अनुसंधान अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने के फलस्वरूप योग्य कानिस्टेबलों को अनुसंधान कार्य का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु स्थाई आदेश संख्या—01 / 2020 द्वारा 04 सप्ताह (24 दिन) की अवधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।

जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले उक्त प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों की अन्तिम परीक्षा आयोजित करने हेतु जिला स्तर पर निम्नांकित अधिकारियों का बोर्ड गठित किया जाता है:—

1. जिला पुलिस अधीक्षक — अध्यक्ष
2. जिले में पदस्थापित एक अति. पुलिस अधीक्षक — सदस्य
3. जिले में पदस्थापित एक उप अधीक्षक पुलिस / अपराध सहायक — सदस्य सचिव

सभी जिलों में परीक्षा में समानता रखने के लिए मॉडल प्रश्न—पत्र तैयार किये गये हैं। सम्बन्धित बोर्ड इन मॉडल प्रश्न—पत्रों के आधार पर प्रश्न—पत्र तैयार कर परीक्षा आयोजित करेंगें।

यह स्थाई आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः— मॉडल प्रश्न—पत्र

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर / जोधपुर।
9. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
11. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
12. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर / खैरवाड़ा / झालावाड़ / अलवर / भरतपुर / बीकानेर / पीएमडीएस, बीकानेर / पीसीटीएस, जोधपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

D:\kanhaiya\New folder\Standing Orders.docx

कानिस्टेबल को अनुसंधान अधिकारी की शक्तियां दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम सप्ताह का प्रश्न पत्र

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक : 100**

नोट :– सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है।

प्रश्न : 1 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत निम्नांकित की धारा सहित परिभाषित कीजिए :–

क. लोक सेवक

ख. विधि विरुद्ध जमाव

ग. दुष्प्रेरण

घ. उपहति

प्रश्न : 2 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिशान्ति बनाए रखने से संबंधित उपबन्धों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

प्रश्न : 3 क. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मिथ्या साक्ष्य एवं मिथ्या सूचना में अन्तर स्पष्ट करें।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत चीजें एवं दस्तावेज पेश करने संबंधी विधिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

प्रश्न : 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित को परिभाषित कीजिए :–

क. परिस्थितिजन्य साक्ष्य

ख. संस्वीकृति

ग. मृत्युकालीन कथन

घ. विशेषज्ञों की राय

प्रश्न : 5 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में किए गए नवीनतम प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

कानिस्टेबल को अनुसंधान अधिकारी की शक्तियां दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

द्वितीय सप्ताह का प्रश्न पत्र

समय : 3 घण्टे

नोट :— सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। पूर्णांक : 100

प्रश्न : 1 निम्नांकित न्याय निर्णयों की विस्तृत व्याख्या कीजिए —

क. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

ख. अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार

प्रश्न : 2 क. पुलिस अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पुलिस के दायित्वों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों पर टिप्पणी लिखिए।

ख. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न : 3 क. भारतीय संविधान में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में किए गए विशिष्ट प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

ख. पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर टिप्पणी लिखिए।

प्रश्न : 4 एक सडक दुर्घटना का काल्पनिक नक्शा मौका बनाइए। घटना स्थल किस प्रकार के साक्ष्य मिलने की संभावना है? मौके पर की जाने वाली फोटोग्राफी के संबंध में भी अपने विचार लिखिए।

प्रश्न : 5 क. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बनाई गई विभिन्न ऐजेन्सियों के गठन एवं उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी अंकित करें।

ख. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों पर टिप्पणी लिखें।

कानिस्टेबल को अनुसंधान अधिकारी की शक्तियां दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

तृतीय सप्ताह का प्रश्न पत्र

समय : 3 घण्टे पूर्णांक : 100

नोट :– सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है।

प्रश्न : 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में विधिक प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कार्यवाही पुलिस का महत्व स्पष्ट करें।

प्रश्न : 2 क. सामान्य मारपीट के प्रकरण में अनुसंधान के विभिन्न सोपानों पर टिप्पणी लिखें।
ख. चोरी के प्रकरण में घटनास्थल पर क्या साक्ष्य मिल सकते है, स्पष्ट करें।

प्रश्न : 3 घटनास्थल का निरीक्षण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। घटनास्थल के संबंध में मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, डॉग स्क्वॉड तथा एमओबी यूनिट का महत्व स्पष्ट करें।

प्रश्न : 4 मारपीट के एक प्रकरण में मौके पर पडे खून तथा मारपीट में प्रयुक्त किए गए चाकू की काल्पनिक फर्द जब्ती बनाते हुए इन्हे परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न : 5 क. अनुसंधान के क्रम में महिलाओं तथा बच्चों के बयान लिए जाने के संबंध में विधिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
ख. मारपीट के प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले आरोप पत्र में लगाये जाने हेतु एक काल्पनिक साक्ष्य चार्ट तैयार कीजिए।

कानिस्टेबल को अनुसंधान अधिकारी की शक्तियां दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

चतुर्थ सप्ताह का प्रश्न पत्र

समय : 3 घण्टे पूर्णांक : 100

नोट :– सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है।

प्रश्न : 1 सीसीटीएनएस की कार्य प्रणाली को समझाते हुए इसकी अनुसंधान में उपयोगिता के संबंध में विस्तृत टिप्पणी अंकित कीजिए।

प्रश्न : 2 क. अंगुल चिन्हों को मौके से उठाये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियों पर टिप्पणी अंकित कीजिए।

ख. कूटरचना के मामलों में दस्तावेजों के परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए।

प्रश्न : 3 क. केस डायरी से संबंधित विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए केस डायरी के पुलिस अनुसंधान में महत्व को स्पष्ट कीजिए।

ख. मारपीट के मामले में किसी मजरुब का मेडीकल मुआयना करवाने हेतु एक काल्पनिक तहरीर लिखिए तथा मेडीकल रिपोर्ट के विश्लेषण के संबंध में अपने विचार लिखिए।

प्रश्न : 4 क. राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों तथा उनकी कार्य प्रणाली पर टिप्पणी अंकित कीजिए।

ख. फोरेन्सिक मेडीसिन के अपराध अनुसंधान में महत्व को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न : 5 क. पुलिस की आदर्श आचार संहिता पर टिप्पणी लिखिए।

ख. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस के अपेक्षित व्यवहार पर अपने विचार लिखिए।